



Neutral Citation No-2026:AHC:3502

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4470 वर्ष 2025

करण सिंह और 4 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: समाट विक्रम सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, राज्य के स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

"I- डी.डी.सी. को दिनांक 04.02.2004 के आदेश के अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दर-आमद को लागू करने के लिए नया आदेश पारित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसके द्वारा संशोधित तालिका जारी की गई थी।

ii. कोई अन्य उपयुक्त आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।

iii. याचिका की लागत प्रदान करें।

3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि चकबंदी के उप निर्देशक द्वारा पारित दिनांक 04.02.2004 के आदेश के अनुपालन में आज तक भू-राजस्व अभिलेखों को ठीक नहीं किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि "परवाना अमल दरमत" पहले ही न्यायालय द्वारा जारी किया जा चुका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए जाने वाले नए अभ्यावेदन पर संबंधित चकबंदी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत याचिकाकर्ता की शिकायत का अधिक उचित रूप से निवारण किया जा सकता है।

5. उपरोक्त के रूप में इस परिप्रेक्ष्य में, प्रस्तुत रिट याचिका को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा: इसलिए, इसे अंत में एक निर्देश के साथ निपटाया जाता है कि याचिकाकर्ता चकबंदी के उप निदेशक द्वारा पारित दिनांक 04.02.2004 के आदेश के अनुसरण में राजस्व अभिलेखों को सही करने के लिए चकबंदी अधिकारी के समक्ष एक उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. यदि इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ-साथ प्रस्तुत रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो चकबंदी अधिकारी कानून के अनुसार निर्णय लेगा और भू-राजस्व अभिलेखों को सही करेगा, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा नहीं है, तो शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर।

जनवरी 7, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)